रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2000/वैशाख 15, 1922

No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2000/VAISAKHA 15, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2000

फा. सं. एपीडा/सचिव/जनरल/30.—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 में निम्नलिखित रीति में संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 में—

(i) शीर्ष में, "वाणिज्य मंत्रालय" शब्दों के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)";

(ii) अध्याय 5 में विनियम 28 के उपविनियम 9 के खंड (च) में "1800 रुपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "6000 रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) विनियम के अंत में "एस. एम. आचार्य, संयुक्त सचिव", शब्दों के स्थान पर "डी. राजगोपालन, अध्यक्ष, कृ. प्र. नि. वि. प्रा." शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

डी. राजगोपालन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

मूल विनियम अधिसूचना फा. सं. 11/5/86-ई.पी. (कृषि-IV) तारीख 11 अगस्त, 1999 द्वारा प्रकाशित हुए थे।